ध्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3556 / 2004 / नागौर** **भंवरी व अन्य बनाम सुजा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थीगण

——

निर्णय

दिनांकः— 15.01.2026

यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राज0काश्तअधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 36/2004 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई है ।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती केसी ने एक वाद दिलवाने कब्जा एवं हर्जाना बाबत् आराजी खसरा नंबर 216/193 रकबा 23.17 बीघा, खसरा नंबर 193/3 रकबा 1.04 बीघा वाके गुणावती तहसील परबतसर बाबत् वर्तमान निगराकार/प्रतिवादी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के न्यायालय में पेश किया । उक्त वाद में प्रतिवादी/वर्तमान निगराकार ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 5 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि श्रीमती केसी का देहांत हो चुका है । आदेशिका में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 को प्रेस नहीं नहीं करना चाहते है । मृतक केसी के वारिस सुजा पहले से ही दावे में पक्षकार है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र बाबत् उपशमन को निर्णय दिनांक 04.08. 2004 के द्वारा खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण बहस सुनी गई ।

निगरानी के विचाराधीन रहते प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक

ध्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3556/2004/नागौर** **भंवरी व अन्य बनाम सुजा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा को तस्दीक किये जाने हेतु दिनांक 12.01.2026 मय राजीनामा पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजीनामा अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 12.01.2026 को तस्दीक किया गया है । उक्त राजीनामा दिनांक 11.01.2026 में उभयपक्षकारान ने यह स्वीकार किया है कि–''**हम प्रथम पक्षकारान व आप द्वितीय पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की जमीन सरहद मौजा गुणावती के पुराने खसरा संख्या 493, 494, 495 व नये खसरा संख्या 216/193, 193/3 व 216/193 स्थित है । जिसमें हम प्रथम पक्षकारान का 1/4 हिस्सा शुरू से ही कब्जे काश्त का है उपरोक्त वर्णित खसरान में हम प्रथम पक्षकारान के पूर्वजों के नाम से संपूर्ण खसरा नंरबान खातेदारी में नाम दर्ज हो गया था जिसको लेकर के रेवेन्यू कोर्टो में दावे चले थे जो वर्तमान में राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में अपील चल रही है जिसमें हम प्रथम पक्षकारान व द्वितीय पक्षकारान ने आपसी समझाईश से राजीनामा कर लिया है कि आप द्वितीय पक्षकारान को उपरोक्त वर्णित खसरान की जमीन में से 1/4 हिस्से की जमीन खसरा संख्या 495 में से 5 बीघा 18 बिस्वा 17.8 बिस्वांसी पूर्वी तरफ की हिस्से में रखी गयी है तथा उपरोक्त जमीन पर कब्जा शुरू से आपका चला आ रहा है । उपरोक्त जमीन में से एक रास्ता 20 फीट चौड़ाई का उत्तर से दक्षिणी और द्वितीय पक्षकारान की पूर्वी सींव से होकर दक्षिणी ओर होकर पूर्वी ओर फिर पश्चिम की ओर खसरा नंबर 509 तक पोरे पार रास्ता कायम रहेगा जो दोनों पक्षकारों की सहमति से छोड़ा गया है तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी हम प्रथम पक्षकारान आप द्वितीय पक्षकारान के पक्ष में करवा देंगे तथा रास्ता जो छोड़ा गया है उसमें आवागमन करते रहेगें । कोई रास्ते को अवरूद्ध बंद किसी प्रकार से नहीं कर सकेगें । जमीन जो आप द्वितीय पक्षकारान के हिस्से में रखी गयी है व रास्ता जो छोड़ा गया है करवा देगें तथा रास्ता जो छोड़ा गया है उसमें आवागमन करते रहेगें कोई रास्ते को अवरूद्ध बंद किसी**	

ध्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3556 / 2004 / नागौर** **भंवरी व अन्य बनाम सुजा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार से नहीं कर सकेगे । जमीन जो आप द्वितीय पक्षकारान के हिस्से में रखी गयी है व रास्ता जो छोड़ा गया है उसका नजरी नक्शा इकरारनामा बाबत् राजीनामा का भाग समझा जावे ।'' चूंकि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात के बाबत् राजीनामा हो चुका है जिसे अति0निबंधक (न्याय) राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा दिनांक 12.01.2026 को तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात बाबत् मण्डल के समक्ष विचाराधीन निगरानी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के क्रम में पक्षकारान के मध्य विवाद के निस्तारण हेतु प्रकरण को अधी0न्याया0को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है । परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, परबतसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करे। राजीनामे की फोटो प्रति पत्रावली में रखी जाकर मूल राजीनामा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर को भिजवाया जावे । निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभयपक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद इंद्राज दाखिल दफतर हो । । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	